न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02 / 2017

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंट
1. तेजाराम पुत्र रामूराम जाति बिश्नोई निवासी धोरीमना 2. मोहनलाल पुत्र धोकलाराम 3. गंगाराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश 1.9.2016 बमुकदमा संख्या 320 / 2016 द्वारा तहसीलदार धोरीमना

उपस्थित–1. श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सोहनलाल दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 20.11.2017

1. अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रकरण संख्या 320 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 1.9.2016 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नेडीनाडी ने तहसीलदार धोरीमना के सक्षम आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि अपीलांटस तेजाराम वगैरहा ने संवत् 2073 में मौजा नेडीनाडी के खसरा नंबर 147 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार धोरीमना ने प्रकरण संख्या 320 / 2016 दर्ज कर बाद जांच एवं बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.9.2016 द्वारा अपीलांटस को पश्चातवृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करने के आदेश पारित किये, 50/– रूपये जुर्माना आरोपित किया गया एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगतने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया।

3. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

4. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि अपीलांटस ने जानबूझकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का अनुसरण नहीं कर मनमाने तरीके से पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। मियाद के सन्दर्भ में तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी उसे हल्का पटवारी द्वारा नहीं दी गई। मुकदमा में पारित आदेश पर जारी गिरफतारी वारंट पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सर्वप्रथम उसे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। जिससे ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश की गई है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता का तर्क हैं कि अपीलांटस ने वर्ष 2015–16 में भी अतिक्रमण किया था, जिस पर मुकदमा संख्या 35/2015 दर्ज किया जाकर, मौके से बेदखल किया गया। अपीलांटस ने विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया जिस पर पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलांटस का अतिक्रमण यथावत है एवं अपीलांटस पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांटस की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। लिहाजा अपीलांटस की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का नेडीनाडी की रिपोर्ट अनुसार अपीलांटस द्वारा मौजा नेडीनाडी के खसरा नंबर 147 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

की भूमि पर बाड़ लगाई जाकर, रास्ता अवरूद्व किये जाने पर तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपीलांटस के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 320/2016 दर्ज कर, अपीलांटस को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 1.9.2016 का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, जिसे अपीलांटस ने लेने से इन्कार किया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजी पर दोबारा अतिक्रमण किया जाकर रास्ता अवरूद्व किया गया। अपीलांटस पश्चात्वृर्ती अतिक्रमी है। पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलांटस द्वारा मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एवं न्यायोचित है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रकरण संख्या 320/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.9.2016 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को खुले न्यायालाय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)